फा.सं.एफ.1/14(03)/2023-भ.-III

संघ लोक सेवा आयोग

भर्ती-III अनुभाग

पुनः परीक्षित अंतिम संवीक्षा/लघुसूचीबद्ध करने का विवरण	
पद का नाम	सहायक आयुक्त (प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन/वर्षा आधारित कृषि प्रणाली), कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
विज्ञापन संख्या	06/2023
रिक्ति संख्या	23030602325

अनिवार्य योग्यताएं (अ.यो.)	**(क) शैक्षणिक** किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से एक विषय के रूप में शस्य विज्ञान के साथ कृषि रसायन विज्ञान या मृदा विज्ञान या कृषि विस्तार या कृषि अर्थशास्त्र या कृषि वनस्पति विज्ञान के साथ शस्य विज्ञान या कृषि विज्ञान में मास्टर डिग्री या; वनस्पति विज्ञान या वानिकी में मास्टर डिग्री या कृषि इंजीनियरी में स्नातक डिग्री। **(ख) अनुभव** केंद्र या राज्य सरकार के विभाग या संघ शासित क्षेत्र प्रशासन या किसी मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थान या कृषि विश्वविद्यालय या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या अर्ध-शासकीय या स्वायत्तशासी या सांविधिक संगठन में कृषि-वानिकी परियोजनाओं सहित मृदा और जल संरक्षण या मृदा गुणवत्ता प्रबंधन या वर्षा आधारित या एकीकृत कृषि और मृदा सर्वेक्षण या समस्या मृदा सुधार और परियोजना निर्माण के क्षेत्र में पाँच वर्ष का अनुभव होना।
वांछनीय योग्यता (वा.यो.)	किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से अनिवार्य योग्यता के अंतर्गत उल्लिखित उपर्युक्त विषयों में से किसी एक विषय में डॉक्टरेट डिग्री या कृषि इंजीनियरी में मास्टर डिग्री।

अपनाए गए मानदंड	i) संवीक्षा, उम्मीदवारों द्वारा ऑन-लाइन आवेदन में भरी गई जानकारी और आवेदन के साथ अपलोड किए गए समर्थित दस्तावेजों के आधार पर की गई है। ii) वांछनीय योग्यता लागू की गई है। iii) आवेदनों की संवीक्षा, संबंधित पद के भर्ती नियमों के प्रावधानों के अनुसार की गई है। iv) संवीक्षा हेतु ऑन-लाइन भर्ती आवेदन में किए गए दावों को ही शैक्षिक योग्यता/अनुभव के लिए विचार किया गया है। केवल उन उम्मीदवारों के समर्थित दस्तावेजों की जांच की गई है, जिन्होंने ऐसे दावों के संबंध में सूचना दी है जो उनकी अ.यो.-क और अ.यो.-ख के संबंध में पद संबंधी उनकी पात्रता के लिए स्वीकार्य हैं। ओआरए के संगत मॉड्यूल में इनकी सूचना दिए बिना संलग्न किए गए दस्तावेजों पर

	विचार नहीं किया गया है। v) रसायन विज्ञान, एग्रो रसायन और कीट प्रबंधन और कृषि रसायन में मास्टर डिग्री पर विचार नहीं किया गया है। vi) अध्यापन को संगत अनुभव के रूप में नहीं माना गया है। vii) भू-जल प्रतिमान को संगत अनुभव के रूप में माना गया है। viii) भर्ती (समन्वय एवं नीति) के परिपत्र सं. एफ.8/84/2010-भर्ती (समन्वय एवं नीति) दिनांक 23.12.2010 के अनुसार, अनुभव प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में होने चाहिए। तथापि, आवेदकों द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अनुभव प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किए जाने पर भी सभी अपेक्षित सूचना उपलब्ध होने पर ऐसे प्रमाण-पत्रों पर मेरिट के आधार पर विचार किया गया है। ix) नियुक्ति पत्रों, कार्यालय आदेशों, त्याग पत्रों, वेतन प्रमाण-पत्रों, सेवा प्रमाण-पत्रों और उम्मीदवार द्वारा स्वयं हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्रों या स्व-रोजगार प्रमाण-पत्रों को अनुभव के प्रमाण के रूप में नहीं माना गया है। ऐसे उम्मीदवारों को 'अपूर्ण; श्रेणी के तहत अस्वीकृत कर दिया गया है। x) जिन अनुभव प्रमाण-पत्रों में कार्यों के स्वरूप का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है, उन पर विचार किए बिना 'अपूर्ण; मानते हुए अस्वीकार कर दिया गया है। इसी प्रकार, जिन आवेदकों ने संगत अनुभव का दावा किया है, लेकिन इस दावे के समर्थन में प्रस्तुत किया गया अनुभव प्रमाण-पत्र सम्पूर्ण अवधि का नहीं है अथवा उनके किए गए दावे का समर्थन नहीं करता है, को अस्वीकृत कर दिया गया है। संगत अनुभव की केवल उस अवधि पर विचार किया गया है, जिसके लिए अपेक्षित/संगत अनुभव प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया गया है। xi) कुछ उम्मीदवारों को एक से अधिक श्रेणी के अंतर्गत अस्वीकार किया जा सकता है। उन्हें सर्वाधिक उपयुक्त श्रेणी के तहत अस्वीकार किया गया है। **नोट: आयोग द्वारा मानदंडों का निरधार, प्रत्येक मामले के आधार पर किया जाता है।**

संवीक्षा संबंधी विवरण आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर 21/03/2024 को अपलोड कर दिए गए थे जिसमें अस्वीकृत उम्मीदवारों को उनके अस्वीकरण के विरुद्ध अपना अभ्यावेदन 01/04/2024 तक प्रस्तुत करने हेतु एक अवसर प्रदान किया गया था।

15/04/2024 तक उम्मीदवारों से चौदह अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और सभी की जांच की गई है। उपर्युक्त उम्मीदवारों के संबंध में अभ्यावेदन और आयोग द्वारा अपनाए गए मानदंड तथा मापदंडों के संदर्भ में ऑन-लाइन आवेदन और दावा किए गए अनुभव का पुनः परीक्षण किया गया है। सभी अभ्यावेदनों का पुनः परीक्षण किया गया है।

अनंतिम रूप से लघुसूचीबद्ध किए गए अनुक्रमांक 13 ने जन्म तिथि के संबंध में अब एक वैध प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया है अतः अनंतिमता समाप्त कर दी गई है। एलडीक्यू के रूप में अस्वीकृत किए गए अनुक्रमांक 85 और 104 ने दावा किया है कि उनकी पीएच.डी. डिग्री समान/समकक्ष विषय में है। चूंकि समकक्ष योग्यताएं स्वीकार नहीं की जाती है, उनका अनुरोध स्वीकार नहीं किया जा सकता है। एलईक्यू (क) के रूप में अस्वीकृत किए गए अनुक्रमांक 04, 69 और 96 ने लघुसूचीबद्ध करने के लिए अपनी मास्टर डिग्री स्वीकार करने का अनुरोध किया है। तथापि, चूंकि समकक्ष योग्यताएं स्वीकार नहीं की जाती है, उनका अनुरोध स्वीकार नहीं किया जा सकता है। एलईक्यू (ख) के रूप में अस्वीकृत किए गए अनुक्रमांक 95 और 100 अपेक्षित अनुभव होने का दावा करते है लेकिन उनका अनुभव संगत नहीं है। अपूर्ण के रूप में अस्वीकृत किए गए अनुक्रमांक 24 और 73 ने एक नया अनुभव प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया है लेकिन अभी भी इसकी विषय-वस्तु ओआरए में किए गए दावे से मेल नहीं खाती है। अनुक्रमांक 55, 60, 64 और 102 विचारार्थ क्षेत्र में नहीं थे क्योंकि उन्होनें वांछनीय योग्यता का दावा नहीं किया था।

इस प्रकार, 13 उम्मीदवारों द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण और तर्कसंगतता को संतोषप्रद नहीं पाया गया है और आयोग के विचारित प्रारम्भिक निर्णय को संशोधित और बदल कर उन्हें लघुसूचीबद्ध करने के पर्याप्त, ठोस और उपयुक्त आधार प्रदान नहीं करते हैं। इस प्रकार, उनका अस्वीकरण बरकरार रखा जाता है।

तद्नुसार लघुसूचीबद्ध या अस्वीकृत किए गए उम्मीदवारों की सूची में कोई परिवर्तन नहीं है और संवीक्षा निम्नानुसार ही है:

01 अना. रिक्ति

मानदंड: अ.यो. (क) + अ.यो. (ख) + वा.यो.

साक्षात्कार में बुलाए जाने के लिए

अनुक्रमांक:

02	05	13	14	23
37	51	62	76	86
99				

(11 उम्मीदवार)

अस्वीकृत

एलईक्यू-'क'

01	03	04	11	17
36	69	71	96	

(09 उम्मीदवार)

एलडीक्यू

अनुक्रमांक:

22	85	104

(03 उम्मीदवार)

एलईक्यू – 'ख'

अनुक्रमांक:

07	08	12	15	20
25	30	34	39	40
42	47	49	53	54
56	57	58	61	67
68	74	75	78	84
89	91	93	95	100

(30 उम्मीदवार)

अपूर्ण

अनुक्रमांक

कारण	अनुक्रमांक
अनुभव प्रमाण-पत्र नहीं	19 97
कार्य का स्वरूप और अनुभव प्रमाण-पत्र नहीं	24
अनुभव प्रमाण-पत्र की तारीख मेल नहीं खाती	90
अनुभव प्रमाण-पत्र दावे से मेल नहीं खाता	72 73
नियुक्ति/त्याग पत्र/ तैनाती आदेश/सेवा प्रमाण-पत्र/ कार्यालय आदेश/ वेतन प्रमाण-पत्र/ उम्मीदवार द्वारा स्वयं हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र/स्व-रोजगार प्रमाण-पत्र आदि को अनुभव प्रमाण-पत्र के रूप में नहीं माना गया है।	

(06 उम्मीदवार)

सभी शेष उम्मीदवारों को एलडीक्यू (वांछनीय योग्यता में कमी) श्रेणी के तहत अस्वीकृत कर दिया गया है।

(45 उम्मीदवार)

उम्मीदवारों हेतु अनुदेश

1. इस संबंध में आगे कोई भी पत्राचार नहीं किया जाएगा।

2. इस पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की सूची उनके अनुक्रमांक सहित आयोग की वेबसाइट में मुख्य पृष्ठ>>भर्ती>>भर्ती मामलों की स्थिति (विज्ञापन-वार)>>आवेदकों की सूची में अपलोड की गई है।

संकेतक:

एलईक्यू-ख – अनिवार्य योग्यता-ख में कमी।

एलडीक्यू – वांछनीय योग्यता में कमी।

एनओडी – कार्य का स्वरूप।

ईसी –अनुभव प्रमाण-पत्र।

परामर्शदाता उप सचिव (भ.-III)